

2021  
78

6/4/21  
15/6/21  
17/8/21  
9/11/21

सरवर्क  
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
डा० पत्र	58 2021	28/1/21	सबवार नगर	फैसल 5/22		18/1/22 12/4/22 23/06/22

अनवान

श्री देवकर पिता उकार-वमाश  
निवासी सबवार नगर

बनाम श्री शंकर पिता रामसुख तेली  
निवासी सबवार नगर वगैरे

निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेष्यो.

111.128 LRACT

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

देवकरण यमास

बनाम


शंकर तेजी

किस्म मुकदमा 111, 128 L.R. Act नं.

52 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>28/1/21 वकील <del>डा. का</del> द्वारा <del>डा. का</del> पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 विरुद्ध <del>विपक्षी गण</del> पेश किया गया। <del>डा. का</del> पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर <del>विपक्षी गण</del> की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 6/4/21 को पेश हो। 3/86</p>	
6.4.21	<p>पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिता भी अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पवार हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 15/6/21 को पेश हो।</p>	
15/6/21	<p>पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिता भी अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पवार हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 17/8/21 को पेश हो।</p>	

आज्ञा से  
रीडरआज्ञा से  
रीडर

तारीख हुक्म 58 /2021	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला नौलका पटवारी अधिकारी अमृत सिंह आर्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2022	<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट सरदारनगर पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थी द्वारा ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">           उपखण्ड अधिकारी          बनेड़ा       </p>	

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 58 /2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

### उनवान

देवकरण पिता उंकार चमार निवासी सरदारनगर

—प्रार्थीगण

### बनाम

- 1- शंकर पिता रामसुख तेली निवासी सरदारनगर
- 2-3 रामलाल, दूदा पिता मांगू तेली निवासी सरदारनगर
- 4- लाल पिता रामसुख तेली निवासी सरदारनगर
- 5- मदन लाल पिता छगन लाल सोडानी निवासी बनेड़ा
- 6- मोहन पिता मगना तेली निवासी सरदारनगर
- 7- जोधा पिता हजारी गाडरी निवासी सरदारनगर
- 8- बालकृष्ण पिता भंवर लाल जोशी निवासी सरदारनगर
- 9- हीरा पिता मगना गाडरी निवासी सरदारनगर
- 10- गोपाल पिता खेमा गाडरी निवासी सरदारनगर
- 11- अजीज पिता लाल मोहम्मद पिनारा निवासी सरदारनगर
- 12- मूनीर पिता लाल मोहम्मद निवासी सरदारनगर
- 13- तहसीलदार बनेड़ा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

### निर्णय

दिनांक :- 20/05/2022

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सरदारनगर भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2932, 2936, 2937, 2938, 3181 कुल कित्ता 5 रकबा 0.5943 है० के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्बत् 2073 से 2076 ग्राम सरदारनगर भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2932, 2936, 2937, 2938, 3181 कुल कित्ता 5 रकबा 0.5943 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते


158

है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सरदारनगर भू०अ०नि० सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2932, 2936, 2937, 2938, 3181 कुल किता 5 रकबा 0.5943 है० भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू०अ०निरीक्षक सरदारनगर को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू०अ०निरीक्षक सरदारनगर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।


निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय सरदारनगर पर सुनाया गया।

  
(अंशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा